मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक: /7/2015

आ दे श

क्र: एफ11-26/2015/बी-ग्यारह: राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ11-7/2015/बी-ग्यारह, दिनांक 01/04/2015 से जारी "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" के नियम 9 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :-

1. विद्यमान नियम 9 (iii) के पश्चात् निम्नानुसार परंतुक जोड़ा जाता है:-

"परंतु जिला व्यापार एवं औद्योगिक केन्द्रों द्वारा पूर्व से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों हेतु विकास शुल्क की गणना औद्योगिक क्षेत्र के आंतरिक विकास में हुए कुल व्यय पर समानुपातिक रूप से अथवा 100 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी कम हो, की जावेगी। यह विकास शुल्क भूमि आवंटन के समय एक मुश्त देय होगा।"

2. विद्यमान नियम 9(v) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"9(v)- ग्रामीण क्षेत्र में विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का मूल्य संबंधित क्षेत्र की असिंचित कृषि भूमि के लिये निर्धारित कलेक्टर गाईड लाईन को 0.6 से भाग देने पर निकाला जावेगा।

नगरीय क्षेत्र में विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का मूल्य उक्त नगरीय क्षेत्र के निकटतम स्थित असिंचित कृषि भूमि के लिये निर्धारित कलेक्टर गाईड लाईन को 0.6 से भाग देने पर निकाला जायेगा।"

3. विद्यमान नियम 9(v) के पश्चात् निम्नानुसार परन्तुक इस शर्त के साथ जोड़ा जाता है कि इसके क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति तथा निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति के अनुमोदन से जारी किये जावेंगे :-

"परन्तु औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की दर कम प्रतीत होने पर औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को यह अधिकार होगा कि वे अपने संचालक मण्डल की अनुमति से उस मूल्य को बढ़ा सके।"

4. विद्यमान नियम 9(vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"9(vi)- विकसित तथा विकसित किये जाने वाले ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधन में हैं, उनके लिये यह आवश्यक होगा कि आवंटन के पूर्व दरों का अनुमोदन उद्योग आयुक्त से कराया जाये। औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के संदर्भ में उनके संचालक मंडल से अनुमोदन आवश्यक होगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग.

पृ0क्र0: एफ11-26/2015/वी-ग्यारह: भोपाल, दिनांक : 28 /7/2015

1. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड/मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0, भोपाल।
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. नियंत्रक शासन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

(अनिल भारतीय)
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग.